प्रोत्साहन योजना : राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संस्थान में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु प्रेरणा एवं प्रोत्साहन की नीति अपनायी जाती है। जहाँ एक ओर वर्ष के दौरान राजभाषा अभिमुखीकरण/हिन्दी कार्यशाला/प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम का आयोजन कर अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्य सरकारी कामकाज के अलावा तकनीकी/अनुसंधान कार्यों में हिन्दी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर राजभाषा प्रावधानों के अनुसार विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को भी क्रियान्वित किया गया है। निम्नलिखित प्रोत्साहन योजना लागू की गई है :-

हिन्दी में टिप्पण/प्रारूपण करने हेतु प्रोत्साहन - वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्त कुल 09 दावों को प्राप्त कर स्वीकार्य प्रोत्साहन राशि सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को दी गई। यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सरकारी कामकाज का निष्पादन हिन्दी में किया जाता है तथापि वे प्रोत्साहन राशि के लिए दावा प्रस्तुत नहीं करते हैं। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी प्रोत्साहित करने हेतु अलग से योजना बनायी गयी है।